सं. 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2006/अग्रहायण 10, 1928
No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2006/AGRAHAYANA 10, 1928

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुम्बई, 30 नवम्बर, 2006

**सं. टीएएमपी/47/2006-वीपीआरसीएल.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, विशाखापटणम पत्तन पर नव विकसित जोड़ मार्ग के लिए विशाखापटणम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) द्वारा लगाए जाने वाले टोल हेतु एक अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था को अनुमोदन करता है।

### अनुसूची

### प्रकरण सं. टीएएमपी/47/2006-वीपीआरसीएल

**विशाखपटणम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल)** ..... **आवेदक**

## आदेश

**(नवंबर 2006 के 28वें दिन पारित)**

यह प्रकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग-5 (एनएच-5) से विशाखापटणम पत्तन को जोड़नेवाले उड्डानपुल/नव विकसित जोड़ मार्ग के लिए तदर्थ आधार पर टोल निर्धारण हेतु विशाखापटणम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबन्धित है।

2.1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने विशाखापटणम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) जिस इस प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन के रूप में बनाया गया है, उसके द्वारा विशाखापटणम पत्तन से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 तक संयोजकता विकसित करने हेतु एक पत्तन मार्ग संयोजकता परियोजना को अपनाया है। विशाखापटणम पत्तन न्यास (वीपीटी) तथा वीपीआरसीएल दोनों ने उक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, 30 साल की अवधि के लिए एक रियायती करार पर हस्ताक्षर किया है।

2.2. वीपीआरसीएल ने, नवंबर 2006 में, विशाखापटणम पोर्ट रोड संयोजकता परियोजना के लिए टोल निर्धारण हेतु, इस प्राधिकरण के सामने एक प्रस्ताव दाखिल किया है। वीपीआरसीएल द्वारा दाखिल किये गये प्रशुल्क प्रस्ताव को एक "प्रशुल्क प्रकरण" के रूप में पंजीकृत किया गया और उसको परामर्श के लिए लिया गया है।

3.1. इस बीच, वीपीआरसीएल ने अपने पत्र दिनांक 24 नवंबर 2006 द्वारा यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से दिनांक 1 दिसंबर 2006 से प्रभावी, परियोजना को खोलने के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया है तथा लगायी जानेवाली दरों को भी प्रस्तावित किया है।

3.2. परियोजना को 1 दिसंबर 2006 से खोलने का प्रस्ताव है। वीपीटी और वीपीआरसीएल ने, दिनांक 17 नवंबर 2006 को उनके द्वारा आयोजित बैठक में, संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ, तदर्थ आधार पर लगाए जानेवाले टोल के विषय में, विचार-विमर्श किया है। वीपीआरसीएल के पत्र दिनांक 23 नवंबर 2006 के साथ संलग्न, दिनांक 17 नवंबर 2006 को हुए विचार-विमर्श की अभिलेखित टिप्पणी यह सूचित करती है कि प्राधिकरण द्वारा अंतिम दरों को निर्धारण अवधि तक, तदर्थ आधार पर लगाई जानेवाली प्रस्तावित दरों को, संबद्ध उपयोक्ताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। वीपीआरसीएल ने अपने प्रस्ताव दिनांक 8 नवंबर 2006 द्वारा प्रस्तावित आरंभिक दरों पर, समायोजन सहित तदर्थ दरों को प्रस्तावित किया है।

4. जैसाकि पहले कहा गया है, नवंबर 2006 में वीपीआरसीएल द्वारा दाखिल किये गए प्रशुल्क प्रस्ताव को परामर्श पर लिया गया है। इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार विमर्श हेतु परिपक्व होने के लिए इस प्रस्ताव को कुछ अधिक समय लगेगा। चूँकि इस परियोजना को दिनांक 1 दिसंबर 2006 से प्रभावी, यातायात के लिए खुलवाए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए वीपीआरसीएल को सुविधाओं के प्रचालन हेतु, सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रशुल्क व्यवस्था अपेक्षित है। प्रस्तावित तदर्थ दरें, परस्पर स्वीकृत दरें होने के नाते, यह प्राधिकरण, तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरों को, छः माह की अवधि के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमोदन करने के लिए इच्छुक है। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तदर्थ दरें अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

5. साधारणतया, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों को प्रारंभ-समय अनुमत करने के पश्चात् कार्यान्वित किया जाता है। चूँकि वीपीआरसीएल ने दिनांक 1 दिसंबर 2006 से प्रचालन की शुरूआत करने के लिए प्रस्तावित किया है तथा वीपीआरसीएल द्वारा सेवाएँ प्रदान करने हेतु कोई प्रशुल्क व्यवस्था प्रचलित नहीं की गई है, इसलिए वीपीआरसीएल के लिए अनुमोदित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था 1 दिसंबर 2006 से प्रभावित होगी तथा छः माह की अवधि के लिए अथवा वीपीआरसीएल द्वारा दाखिल किये हुए प्रशुल्क प्रस्ताव पर पारित किये जानेवाले आदेश की प्रभावी तिथि तक-इनमें से जो भी पहले हो, तब तक वैध रहेगी।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006/असा.]

## अनुलग्नक

## विशाखापटणम पत्तन न्यास तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को संयोजन करनेवाले मार्ग के लिए टोल

I. (क). अय्यप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाज़ा पर टोल ।

**(रूपयों में)**

| क्र. | वाहन का किस्म | एक तरफ यात्रा दर | वापसी यात्रा दर 24 घंटे के लिए वैध |
|---|---|---|---|
| 1. | कार/जीप/वेन | 10 | 15 |
| 2. | एलसीवी | 15 | 25 |
| 3. | ट्रक/बस | 35 | 55 |
| 4. | एमएवी (3 से 6 एक्सलवालों तक)/ एचसीएम/ईएमई | 55 | 85 |
| 5. | बड़े आकारवाले वाहन (7 अथवा अधिक एक्सलवाले) | 65 | 100 |

I. (ख). स्थानीय यातायात/राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर (अय्यप्पन मंदिर के पास मुख्य टोल प्लाज़ा पर) अय्यप्पन मंदिर तथा कान्वेन्ट जंक्शन के बीच में होनेवाले बहुधा यात्रिकों के लिए, रियायतें सहित टोल ।

(रूपयों में)

| क्र. | पास | कार/ जीप/ वेन | एलसीवी | ट्रक/बस | एमएवी (3 से 6 एक्सलवालों तक)/ एचसीएम/ईएमई | बड़े आकारवाले वाहन (7 अथवा अधिक एक्सलवाले) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मासिक पास: (50 एक तरफ की यात्रा के लिए देय राशि में से 1/3 छूट सहित-एक माह में 50 एक तरफ की यात्रा) | 335 | 500 | 1165 | 1835 | 2165 |
| 2. | दैनिक पास: (एक दिन में वापसी यात्रा, एक तरफ की यात्रा के दर में से @ 1.50 बार) | 15 | 25 | 55 | 85 | 100 |
| 3. | महीने के लिए स्थानीय पास: (अपने वाहन के स्वामित्व के सबूत तथा अपने आवास को सबूत प्रस्तुत करने पर टोल प्लाज़ा के 20 कि.मी. के अंतगर्त रहनेवाले आवासियों के लिए) | 150 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

II. (क). 'Y'जंक्शन के पास द्वितीय टोल प्लाज़ा के लिए टोल ।

(रूपयों में)

| क्र. | वाहन का किस्म | एक तरफ यात्रा दर | वापसी यात्रा दर 24 घंटे के लिए वैध |
|---|---|---|---|
| 1. | कार/जीप/वेन | 5 | 10 |
| 2. | एलसीवी | 10 | 15 |
| 3. | ट्रक/बस | 20 | 30 |
| 4. | एमएवी (3 से 6 एक्सलवालों तक)/ एचसीएम/ईएमई | 30 | 45 |
| 5. | बड़े आकारवाले वाहन (7 अथवा अधिक एक्सलवाले) | 35 | 55 |

II. (ख). स्थानीय यातायात/कान्वेन्ट जंक्शन तथा 'वाय' (Y) जंक्शन (वाय जंक्शन के पास टोल प्लाज़ा पर) के बीच बहुधा यात्रिकों के लिए रियायत सहित टोल ।

(रूपयों में)

| क्र. | पास | कार/जीप/वेन | एलसीवी | ट्रक/बस | एमएवी (3 से 6 एक्सलवालों तक)/एचसीएम/ईएमई | बड़े आकारवाले वाहन (7 अथवा अधिक एक्सलवाले) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मासिक पास: (50 एक तरफ की यात्रा के लिए देय राशि में से 1/3 छूट सहित-एक माह में 50 एक तरफ की यात्रा) | 165 | 335 | 665 | 1000 | 1165 |
| 2. | दैनिक पास: (एक दिन में वापसी यात्रा, एक तरफ की यात्रा के दर में से @ 1.50 बार) | 10 | 15 | 30 | 45 | 55 |
| 3. | महीने के लिए स्थानीय पास: (अपने वाहन के स्वामित्व के सबूत तथा अपने आवास को सबूत प्रस्तुत करने पर टोल प्लाजा के 20 कि.मी. के अंतगर्त रहनेवाले आवासियों के लिए) | 150 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

III. निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को टोल से छूट दिया जायेगा।

(1). भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, संघ मंत्री, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, केन्द्रीय तथा राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारीगण और विरोधी दल के नेतागण, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मंत्रीगण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्य आगमन पर आनेवाले विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों को परिवहन करनेवाले तथा उनके साथ चलनेवाले कार्यालयीन वाहन।

(2). वर्दी पहने हुए केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल को सम्मिलित करके, और पुलिस तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यालयीन वाहन।

(3). समुचित देश के संसदीय सदस्य, राज्य विधानमंडल परिषद के सदस्य, अपने-अपने राज्य के राज्यसभा सदस्य जब वाहन में बैठे हुए हैं, राज्य के संबन्धित विधानमंडल अथवा संसद द्वारा जारी किये गये पहचान-पत्र को प्रस्तुत करने पर।

(4). परमवीर चक्र, अशोकचक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र जैसे शौर्य पुरस्कार के विजेताओं के वाहन, यदि ऐसे पुरस्कृति, ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही रूप से प्रमाणित किये हुए अपने फोटो पहचान-पत्र को प्रस्तुत करने पर।

(5). वाहन, सीसी/सीडी नंबर प्लेट्स सहित।

(6). रोगीवाहन, अग्निशमन गाडी और शवयात्रा वाहन; तथा

(7). निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन रखरखाव हेतु राजमार्ग को प्रयोग करनेवाले व्यक्तियों के वाहन।

**टिप्पण:**

डाक तथा तार विभाग के वाहन, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यरत वाहन छूट प्राप्त वाहन के रुप में नहीं माने जायेंगे।